जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : कुलसचिव
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442452 (निवास)
फैक्स : (0091-0751 2341769
E-mail : jumg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5965

दिनांक : 08/02/13

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (16) के निर्णयानुसार एच.आई.सी.टी. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष एवं सत्र 2011-12 के लिये बी.एस-सी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. आई.एन.सी., नई दिल्ली के मानदण्डों के अनुसार महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, उप प्राचार्य, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, ट्यूटर/क्लीनिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्तियां कॉलेज कोड 20(17) के अन्तर्गत दो माह में पूर्ण कर ली जाय।
2. आई.एन.सी., नई दिल्ली के मानदण्डों के अनुसार महाविद्यालय द्वारा बी.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु विभिन्न प्रयोगशालायें मय उपकरणों, रसायनों, फर्नीचरों इत्यादि से दो माह के अन्तर्गत सुसज्जित कर ली जावे।
3. महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीड़ाधिकारी, टेक्नीकल एवं गैर टेक्नीकल कर्मचारियों की नियुक्तियां कॉलेज 20(17) एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार दो माह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जावें।
4. महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में विकसित किये जा रहे पुस्तकालय में बी.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम से संबंधित दो सौ शीर्षक पुस्तकें दो माह के भीतर क्रय की जावें।
5. महाविद्यालय द्वारा खेल-कूद का मैदान दो लाख रुपए के खेल-कूद के सामान के साथ विकसित किया जावे।
6. महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय भवन के प्रत्येक तल पर लड़कों एवं लड़कियों हेतु पृथक-पृथक रूप प्रशाधन व्यवस्था विकसित की जावे।
7. यदि महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त कण्डिका, क्रमांक 01 से 06 तक लगाई गई शर्तें दो माह के अवधि में पूर्ण नहीं कर ली जाती हैं, तो महाविद्यालय को आगामी सत्र 2012-13 हेतु बी.एस-सी. नर्सिंग प्रथम वर्ष के लिए यह समिति अनुशंसा नहीं करने की अनुशंसा करती है।
8. महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त शर्तों को दो माह में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करे, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की है।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एच.आई.सी.टी. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टैम्पल लैंग, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव (परीक्षा/मोपजीए) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

DOC : C:\Users\Administrator\Desktop\Adhisuchna.doc